न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 46/2021 GCMS NO 2021/227

दायरा तिथि : 22.09.2021

आदेश तिथि : 22.12.2021

प्रार्थी :–

भगवानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत
निवासी बोया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 22-12-2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि **ग्राम बोया** तहसील बाली के खसरा नंबर 220/1 रकबा 1.44 हैक्टर किस्म जाव अव्वल, चाही प्रथम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बोया तहसील बाली के खसरा नंबर 238 रकबा 4.43 हैक्टर किस्म गै.मु. मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस सबंध में पटवारी हल्का, बोया ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पुर्व में इसी आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। जिस रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रकरण को भी निर्णित किये जाने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री विरमदेवसिंह ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुये दलील दी कि यदि मौके पर आवेदक की खातेदारी में आवागमन के लिये रास्ता विद्यमान होता, तो प्रार्थीया को उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुती की आवश्यकता ही नहीं पडती। अतः प्रकरण में तहसीलदार, बाली से इस बाबत् स्पष्ट खुलासा रिपोर्ट तलब किये जाने की दलील दी। इसके विपरित पेरोकार सरकार द्वारा वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी गई कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुँच मार्ग खसरा नंबर 237 से होकर मौजूद है जहां से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि तक आना जाना करता हैं। प्रार्थी ने अपनी सुविध के लिये सीधे बाली पिण्डवाडा मुख्य मार्ग से जुडने के लिये नजदीकी रास्ता की मांग की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई। उभय पक्ष वकुलाय की बहस में मौके पर रास्ता उपलब्ध होने बाबत् विरोधाभाषी तथ्य प्रकट होने से प्रकरण में निर्णय पारित से पुर्व वर्णित भूमि का मौका देखा गया। प्रकरण में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम बोया के खसरा नंबर 220/1 तक पहुँच मार्ग वर्तमान में खसरा नंबर 237 से होकर मौजुद है। प्रार्थी के द्वारा बाली–पिण्डवाडा मुख्य सडक से सीधा जुडने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मौका निरीक्षण से भी साबित हुआ।

इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–(ए) के प्रावधानो का अध्ययन किया गया। धारा 251(ए)– अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर भूमिगत् पाईपलाइन बिछाना या **नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना (i) जहां (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों** का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है:–

और मामला पारस्परित सहमति से तय नहीं होता है, तो एक अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित **उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें** और उपखण्ड अधिकारी, यदि **संक्षिप्त जांच के पश्चात्** उसका समाधान हो जाता है कि:–

पेज लगातार.....02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 46/2021 GCMS NO 2021/227
अनवान भगवानसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(i) यह आवश्यकता (**absoulute necessity**) **आत्यंतिक आवश्यकता** है और यह केवल जोत के **सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं** है, और
(ii) अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के **वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया** है।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) में यह स्पष्ट तौर पर प्राविधित किया गया है कि **अत्यांतिक आवश्यकता होने एवं कोई अन्य विकल्प न होने की दशा में ही** कोई आवेदक इन नियमों के तहत नया मार्ग प्राप्ति के लिये आवेदन कर रास्ता प्राप्त कर सकता है। हस्तगत् प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बोया के खसरा नंबर 220/1तक **पहुँच मार्ग वर्तमान में खसरा नंबर 237 से होकर मौजुद है।** इस तथ्य का खुलासा तहसीलदार, बाली की तथ्यात्मक रिपोर्ट से होता एवं मौका निरीक्षण से भी इसकी पुष्टि होती है। इसके साथ ही रास्ते के लिये चाही जा रही भूमि चारागाह की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से प्रार्थी द्वारा पुर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। जिससे विधि के प्रावधानो अनुसार धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी का उक्त प्रकरण रेस जूडिकेटा से भी बाधित है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner